न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 1/2023 (आ.नि.)
GCMS NO : 2023/3

अनवान

1. श्री प्रकाश सिंह पिता श्री बदनसिंह राजपूत निवासी लुणावतों का खेडा, तह. झाडोल।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिम्मतसिहं पिता नाहरसिंह राजपूत निवासीयान लुणावतों का खेडा, तह. झाडोल जिला उदयपुर।
2. श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासीयान लुणावतों का खेडा, तह. झाडोल जिला उदयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झाडोल।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री लोकेश कुमार सिंधल अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4)राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दि. 14.06.2002 अन्तर्गत प्र.सं. 268/02

* निर्णय *

दिनांक –29.08.2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा लुणावतों का खेडा, तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 830, 832, 838, 851, 854 स्थित है। जिसके हाल आराजी संख्या 2063/830, 2064/832, 838, 851, 854 है। इस संबंध में विपक्षीगण संख्या 1, 2 द्वारा उक्त भूमि के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आवंटी के पास तथा आवंटी के परिवार में पूर्व से भूमि होने का तथ्य होना आवंटी के प्रार्थना पत्र में अंकित है व हल्का पटवार की रिपोर्ट में भी अंकित है तथा आवंटी/विपक्षीगण भूमिहिन काश्तकार नहीं है तथा कथित आवंटित भूमि पर विपक्षीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

का कोई कब्जा नहीं है, न ही उन्हे कोई कब्जा सूपुर्द किया है, आवंटी को आवंटन के नियमों के विपरीत बगैर किसी कोरम के बगैर किसी प्रोक्लेमेशन(उद्घोषणा) तथा बगैर कब्जा सूपुर्द किये विपक्षीगण को उपरोक्त आराजीयात का आंवटन दिनांक 14.06.2002 को जरिये पत्रावली संख्या 268/2002 के किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न आधार पर आवंटन निरस्त कराये जाने बाबत् न्यायालय आपमें पेश है। कथित आवंटन नियमों के विपरीत किया होने से स्पष्ट रूप से आवंटन काबिले निरस्त है। मौजा लुणावतो का खेडा के वादग्रस्त आराजीयात भूमि पर प्रार्थी एवं उसके पुरखो का कब्जा करीब 50 से भी अधिक वर्षो से चला आ रहा है फिर भी विपक्षी 1 व 2 ने हल्का पटवारी से मिलकर उक्त आराजीयात का गलत रूप से आवंटन करवा लिया जो कि काबिले निरस्त है। उक्त आवंटीत भूमि को आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटन अधिकारी द्वारा ओक्योपाईड व अनओक्योपाईड भूमि की लिस्ट तैयार नहीं की गई, इस कारण नियम 4 की भी अवहेलना की है। उक्त जमीन की कोई उद्घोषणा नहीं की न ही नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई नियम 7 की अवहेलना होने से कथित आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी भूमिहिन काश्तकार नहीं होने के बावजूद आवंटन करवा लिया है। कब्जा प्रार्थी का है आवंटन निरस्त नहीं होता है तो विपक्षीगण जबरन प्रार्थी को मौके से बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। मौके पर मुझ प्रार्थी का कब्जा होकर मकान भी बना हुआ है मकान के कुछ भाग में रहने एवं कुछ भाग में पशुघर भी बना रखा है जो वर्तमान में मौके पर मौजूद है। मौके पर कई प्रकार के पेड पौधे आदि भी प्रार्थी ने लगाये है तथा जमीनों को काफी विकसीत कर उपजाउ भी बनाया है। आवंटित भूमि पर शर्तो की पालना विपक्षी ने आज दिन तक नहीं की है क्योंकि उसका कोई कब्जा नहीं है। विपक्षीगण को आवंटित भूमि पर प्रार्थी का वर्षो से कब्जा है, विपक्षीगण तादाद में ज्यादा होकर खुखार एवं झगडालु प्रवृति के व्यक्ति है, बार–बार प्रार्थी को अकेला देख मौके से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है तथा विपक्षीगण असरदार व्यक्ति है, जिसके मुकाबले प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति होकर दैनिक कार्यो में व्यस्त रहता है। गांववालों तथा पंचाती में समझाने पर भी विपक्षीगण अपने आदतो से बाज नहीं आ रहे है तथा प्रार्थी को बार–बार मौके से बेदखल कर कब्जा करने के उद्देश्य से फसलो आदि को नष्ट कर कब्जा करने पर आमादा है तथा विपक्षीगण द्वारा बताने पर उक्त भमि को हमने आवंटित करा लिया है, जिस पर प्रार्थी को जानकारी हुई। जिससे प्रार्थी ने संबंधित कार्यालय मे जाकर पता किया तथा आवंटन पत्रावली की नकले प्राप्त की तो विपक्षीगण को उक्त आवंटन किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त आवंटन की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा माननीय तहसीलदार साहब झाडोल को भी उक्त आवंटन होने पर तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा होने बाबत् एक रिपोर्ट पटवारी से तलब किये जाने का प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

पेश किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर माननीय तहसीलदार साहब के समक्ष पेश की जिसके अनुसार भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण संख्या 1, 2 के हक में किये गये आवंटन पत्र मौजा लुणावतों का खेडा, तह. झाडोल के वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को प्रार्थी को आवंटन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 तत्समय भूमिहिन काश्तकार होने के कारण उक्त कब्जेशुदा भूमि का नियमानुसार उनके नाम आवंटन किया गया है जो नियमानुसार सही है, जिसे प्रार्थी को किसी प्रकार से निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व उसके पूर्वजो का कभी भी या 50 वर्षो से भी अधिक समय से कोई कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी को पूर्व नियमानुसार विधिक नियमों के तहत भूमि का आवंटन किया गया है एवं आवंटन पश्चात राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। ऐसे में किसी प्रकार की आवंटन नियमावली की अवहेलना नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा परेशान करने व बदनियतीपूर्वक ब्लैकमेल करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। केवल मात्र कहने से कब्जा साबित नहीं हो जाता है। कब्जा साबित करने के लिए निर्बाध साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी हर कलम में येन–केन–प्रकारेण उक्त भूमि पर अपना कब्जा बता विपक्षी संख्या 1 व 2 के आवंटन को निरस्त कराना चाहता है, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। आवंटन के बाद लगातार विपक्षी का कब्जा चला आ रहा है विपक्षी के मकानात बने होकर परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी विपक्षी के निर्माण को अपना निर्माण बता रहा है। आवंटन को 22 वर्षो से अधिक समय हो चुका है ऐसे में मात्र प्रकार को मयाद में लाने की कुचेष्ठा से यह कहानी गढ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें सच्चाई लेशमात्र भी नहीं है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय इसी स्टेज पर खारिज फरमावे।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि भूमि का आवंटन विपक्षी को हुआ है। मौके पर विपक्षी का कोई कब्जा नहीं है। प्रकाश सिंह का मकान बना हुआ है। पशु चरते थे। पटवारी से मौके की रिपोर्ट बनाई उसमें अंकन है। 2002 से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

अभी तक विपक्षी को कब्जे की जानकारी नहीं थी। बिना आधार के कब्जा बताकर आंवटन करा लिया आंवटन निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रकाश सिंह के पिता व हिम्मतसिंह के पिता दोनो भाई है। एक ही परिवार के सदस्य है। आवंटन सरकारी कमेटी ने पुरी प्रकिया का पालन करते हुए किया है। आवंटन पत्रावली में पटवारी ने कब्जे की रिपोर्ट कर रखी है। यदि मौके पर कब्जा नहीं होता तो पटवारी रिपोर्ट नहीं करता। 2002 का मामला होकर मयाद बाहर होने से मयाद में लाने के लिए रिपोर्ट करवाई है। खातेदार को बिना सुचना दिये रिपोर्ट बना दी गई है। इसी जमीन से बीमा राशि व सरकारी सहायता मिल रहीं है। अगर कब्जा था तो 22 वर्ष में क्यों नहीं आये। परेशान करने के लिए अपील पेश की जो खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी श्री हिम्मतसिंह पिता नाहर सिंह एवं श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नी हिम्मतसिंह द्वारा मौजा सु. का खेरवाडा की आरजी नम्बर 830, 832, 838, 851, 854 किता 5 रकबा 1.09 है. भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 13.06.2002 को पटवारी एवं भू. अ.निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट करने के पश्चात दिनांक 14.06.2002 को आवंटन कमेटी द्वारा रिपोर्ट के पश्चात विधिवत प्रकिया अपनाने के पश्चात ही दिनांक 14.06.2002 को प्रार्थी श्री हिम्मतसिंह पिता नाहर सिंह एवं श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नी हिम्मतसिंह को गैर खातेदार के रूप में आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन के वक्त शर्तो की पालना करने के पश्चात हीं नियमानुसार खातेदारी प्रदान की गई है। वर्तमान में आवंटी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। आवंटन वर्ष 2002 में किया जाकर आज लगभग 22 वर्ष हो चुके है। प्रार्थी द्वारा मौके पर आ.न. 838 में अपना मकान बना होने का कथन किया है जिसके समर्थन में पटवारी लुणावतों का खेडा के पर्चा मौका की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के तर्क में आवंटी द्वारा कथन किया कि उनको बिना सुने बिना उनकी उपस्थिति में पर्चा मौका बना दिया है। उक्त पर्चा मौका में आ.न. 838 रकबा 0.36 है. के कुछ भाग पर खण्डहर स्थिति में मकान जिस पर किसी प्रकार की कोई छत नहीं होना बताया है, जिसमें मौतबीरान एवं प्रकाश सिंह द्वारा ही अपना कब्जा बताया है, कब्जे के समर्थन में इसके अतिरिक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। खण्डर पुराना गिरा हुआ बिना छत के निर्माण को मकान के रूप में कब्जा होना नहीं साबित होता है। प्रार्थी का रिहायशी रूप से कोई कब्जा साबित नहीं हुआ है। केवल कथन मात्र से कब्जे को साबित नहीं किया जा सकता है। आराजी नम्बर 838 के आंशिक भाग पर कब्जा का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

कथन के आधार पर खातेदार का पुराना आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर